राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 230वीं बैठक दिनांक 01.04.2016 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुयी। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	श्री ओम प्रकाश मीणा	अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष एवं सदस्य
2.	श्री अशोक जैन	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
3.	श्री सिद्धार्थ महाजन	शासन सचिव,वित्त(बजट)विभाग,राज॰सरकार	सदस्य
4.	श्रीमती इन्दिरा	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
5.	श्री शंकर लाल कुमावत	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल–सचिव

बैठक में निम्न मण्डल अधिकारी भी उपस्थित रहे :–

1.	श्री के॰सी॰ मीणा	मुख्य अभियन्ता–प्रथम
2.	श्री जी॰एस॰ बाघेला	मुख्य अभियन्ता–द्वितीय
3.	श्रीमती आरती बागोटिया	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

–:: कार्यवाही विवरण ::–

विचार बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
230.1	दिनांक 25.01.2016 को सम्पन्न हुई मण्डल की 228वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	मण्डल की 228वीं बैठक दिनांक 25.01.2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि भविष्य में यह भी अंकित किया जावे कि बैठक का कार्यवाही विवरण किस तिथि को मण्डल सदस्यों को प्रेषित किया गया।	Secretary
230.2	दिनांक 25.01.2016 को सम्पन्न हुई मण्डल की 228वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।	क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary
230.3	दिनांक 27.01.2016 को सम्पन्न हुई मण्डल की 229वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	मण्डल की 229वीं बैठक दिनांक 27.01.2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	Secretary

230.4	दिनांक 27.01.2016 को सम्पन्न हुई मण्डल की 229वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।	मण्डल द्वारा 229वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति का अवलोकन किया गया तथा निम्नलिखित बिन्दुओं के क्रियान्वयन के संबंध में क्रमवार यह निर्देशित किया गयाः– **229.5** निर्णय लिया गया कि भविष्य में मण्डल की योजनाओं में जातिगत संस्थाओं को मुख्यतः शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन नहीं किया जाये। **229.8** इंदिरा गांधी नगर के एल.एन. सी. के प्रस्तावों की प्रगति के संबंध में आगामी बैठक में अवगत करायें। साथ ही निर्देशित किया गया कि भविष्य में निर्णय बिन्दुओं की क्रियान्विति शीघ्रातिशीघ्र किया जाना सुनिश्चित कर क्रियान्विति रिपोर्ट में निर्णय की अनुपालना में की गई कार्यवाही का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण दिया जाये।	Secretary
230.5	बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2014–15 के वार्षिक लेखे (अंतिम लेखे) निदेशक मण्डल से अनुमोदनार्थ एजेण्डा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
230.6	निर्माणाधीन 96 मध्य आय वर्ग–ब के बहुमंजिले (B+S+12) द्वारका पथ, मानसरोवर, जयपुर के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्व वित्त पोषित योजनान्तर्गत संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 2629.95 लाख के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार राशि रुपये 2629.95 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन सहित यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने वाले इस आशय के पत्र में, परियोजना की सम्पूर्ण जानकारी एवं परियोजना लागत में वृद्धि से संबंधित सभी कारणों का उल्लेख करते हुए विस्तृत विवरण दिया जाये।	CE-I
230.7	लीजमनी निर्धारण के संबंध में।	प्रस्तावानुसार लीज मनी की राशि कब्जे की तारीख से लेने का निर्णय लिया गया।	FA

230.8	देरी से राशि जमा कराने पर ली जाने वाली शास्ती एवं ब्याज के संबंध में।	प्रस्तावानुसार निर्णय लेते हुए यह स्पष्ट किया गया कि निस्तारित हो चुके प्रकरणों पर यह निर्णय लागू नहीं होगा परन्तु कार्यवाही हेतु लंबित समस्त प्रकरणों पर यह निर्णय लागू होगा।	FA
230.9	राजस्थान आवासन मण्डल के संचालक मण्डल की 228वीं बैठक के विचार बिन्दु संख्या 228.5 में यथा निर्देशित बजट में "आंशिक संशोधन" की पालना उपरान्त आगामी बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।	FA
230.10	विधि प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर में विधिक सलाहकार के रुप में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संविदा पर नियुक्त किये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव में आंशिक संशोधन के साथ मण्डल में राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम–12 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत संविदा पर एक वर्ष की अवधि के लिए सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विधि विशेषज्ञ एवं सलाहकार के रूप में सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया।	DL
230.11	229वीं बोर्ड मीटिंग के निर्णय बिन्दु संख्या 229.22 में शिथिलता प्रदान करते हुए, प्रताप नगर में वर्ष 2012 से खोली गई विभिन्न स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत आरक्षण पत्र की एक अथवा एक से अधिक किश्त जमा करवाने वाले आवेदकों को दिनांक 16.03.2016 की आवंटन लॉटरी में शामिल किये जाने सम्बन्धी अनुमति की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
230.12	मण्डल की बहुमंजिलीय योजनाओं में उच्च गुणवत्ता एवं प्रामाणिक कार्य परिणाम प्रदर्शित करने वाली कम्पनियों के एलीवेटर्स को उपयोग में लिये जाने बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई एवं यह भी निर्देशित किया गया कि मण्डल की बहुमंजिला इमारतों में लगाई गई लिफ्टों का सुचारू रूप से संचालन एवं आवासीय योजनाओं में पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जावे।	CE-HQ

230.13	श्री बृजराज मीणा (पूर्व विधायक) को आवंटित आवास संख्या 6–ए–7 रंगबाडी योजना, कोटा को पुनर्जीवित किये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित (Defer) किया गया।	CEM
230.14	स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत आरक्षण पत्र की एक अथवा एक से अधिक किश्त जमा करवाने वाले सभी पंजीकृत आवेदकों को नियमानुसार ब्याज वसूल करते हुए आवंटन लॉटरी में शामिल किये जाने तथा आवंटित फ्लेट्स के लम्बित प्रकरणों में फ्लेट्स का कब्जा दिये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन करते हुए बोर्ड बैठक 229 के बिन्दु संख्या 229.22 में लिए गए निर्णय का लाभ 1.4.2014 से पूर्व की एस.एफ.एस. योजनाओं के आवेदकों को भी देने का निर्णय लिया गया।	CEM
230.15	आवासीय योजना लाखेरी में प्रथम चरण के अन्तर्गत निर्माणाधीन घरौंदा के 60, आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 63, अल्प आय वर्ग के 83, मध्यम आय वर्ग 'अ' के 22 एवं उच्च आय वर्ग के 10 आवासों हेतु राशि रु. 1380.05 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार राशि रुपये 1380.05 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदत्त करते हुए, निर्देश दिये गये कि अधूरे कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाया जावे एवं दोषी ठेकेदार से परियोजना की बढ़ी हुई लागत राशि वसूल करने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रभावी तरीके से की जावे तथा इस व इसी तरह के अन्य प्रकरणों में कार्यवाही की प्रगति से बोर्ड को अवगत कराया जाये।	CE-I
230.16	विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के कार्यवाही विवरण की पुष्टि बाबत।	प्रस्तावानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	Secretary
230.17	व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 86/F-08, प्रताप नगर, जयपुर को नियमित किये जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
230.18	नीलामी दिनांक 29.06.2015 में आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या एस–1/46 पुरानी आवासीय योजना हनुमानगढ के आवंटन पत्र की मांग राशि जमा कराने की समयावधि बढाने के क्रम में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA

230.19	प्रदेश के विभिन्न शहरों में मण्डल की सामान्य पंजीकरण योजनान्तर्गत आवास आवंटन हेतु दीर्घकाल से प्रतीक्षारत आवेदकों के पंजीकरणों को निरस्त करते हुये नियमानुसार देय ब्याज सहित पंजीकरण राशि रिफण्ड किये जाने बाबत।	प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बताया गया कि "सामान्य पंजीकरण योजना" के अन्तर्गत चौमूं शहर में 57, (मुक्ता प्रसाद नगर) बीकानेर में 824, मेड़ता सिटी में 82, कोटा में 29 अर्थात् कुल 992 पंजीकृत आवेदक दीर्घकाल से आवास आवंटन हेतु प्रतीक्षारत है। पंजीकरण के पश्चात् अत्यधिक लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी इन योजनाओं में आवास निर्माण के लिए मण्डल के कब्जे में भूमि उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण आवास निर्माण सम्भव नहीं हो पा रहा है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि उक्त योजनाओं के लम्बित पंजीकरणों को निरस्त किया जाये एवं नियमानुसार देय राशि ब्याज सहित आवेदकों को लौटाई जाये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि इन आवेदकों को यह विकल्प भी दिया जाये कि यदि वे मण्डल की अन्य स्थानों पर जहां खुली बिक्री योजना चल रही है, वहां आवास हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें वरीयता दी जायेगी।	CE-HQ
230.20	श्रीमति रानी मिश्रा को आंवटित फ्लेट सं. एमबी–2/305, प्रताप अपार्टमेन्ट, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर के स्थान पर अन्य समकक्ष फ्लेट आवंटित करने बाबत्।	संचालक मण्डल को अवगत कराया गया कि आवेदिका को आवंटित मकान की कुल लागत 18,09,095/– के विरूद्ध मण्डल कोष में दि. 3.9.09 तक राशि रुपये 11,03,075/–जमा है। आवेदिका द्वारा समय–समय पर मण्डल को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि पारिवारिक परिस्थितिवश उनके द्वारा शेष राशि समय पर जमा नहीं करवाई जा सकी एवं अब आवेदिका समस्त बकाया राशि ब्याज सहित जमा करा कर मकान लेना चाहती है। प्रकरण के तथ्यों तथा आवेदिका की पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते	CEM

		हुए इस प्रकरण का नियमितीकरण इस शर्त पर करने का निर्णय लिया गया कि आवेदिका को आवास संख्या एमबी–2/305, प्रताप अपार्टमेन्ट, प्रताप नगर, सांगानेर के उपलब्ध होने पर उक्त आवास अथवा समकक्ष अन्य आवास का आवंटन नियमानुसार ब्याज सहित पूरी राशि लेते हुए किया जावे।	
230.21	प्रताप नगर योजना सांगानेर, जयपुर एवं जयपुर शहर की अन्य सभी योजनाओं के निरस्त व अनावंटित फ्लेट्स को नीलामी के स्थान पर खुली बिक्री योजना के माध्यम से निस्तारित करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि जयपुर शहर की योजनाओं में फ्लेट्स का निस्तारण खुली बिक्री योजना के तहत किया जाये लेकिन जयपुर शहर की योजनाओं में उपलब्ध स्वतन्त्र आवासों के नीलामी के जरिये ही निस्तारण के प्रयास किये जायें एवं बोर्ड की अगली बैठक में नीलामी से निस्तारण के परिणामों की जानकारी दी जाये ताकि स्वतन्त्र आवासों के सम्बन्ध में भी उचित निर्णय लिया जा सकें।	CEM
230.22	आवेदक/आवंटी द्वारा मांग राशि जमा नहीं कराने पर पंजीकरण /आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया के कारण मण्डल के विरूद्ध न्यायिक विवाद उत्पन्न होने का एक मुख्य कारण है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी प्रभावी एवं सरलीकरण करने की नितान्त आवश्यकता होने के कारण पुनर्विचार बाबत।	प्रस्ताव स्थगित (Defer) किया गया।	CEM

अन्य बिन्दु :–

संचालक मण्डल को निम्नलिखित निर्णय से भी अवगत कराया गया:–

मण्डल द्वारा सिवाना जिला बाड़मेर में वर्ष 1984 में 228 आवासों का निर्माण किया गया था। इनके नियमानुसार निस्तारण के हर सम्भव प्रयास किये गये परन्तु बोर्ड को कोई सफलता नहीं मिली। इसके उपरान्त इन आवासों को जिला कलक्टर, बाड़मेर के माध्यम से राजकीय विभागों को निःशुल्क उपयोग हेतु देने का भी प्रस्ताव बोर्ड द्वारा दिया गया लेकिन कोई भी विभाग इन आवासों को निःशुल्क भी लेने को तैयार नहीं है। इन परिस्थितियों में एक ओर तो आवासों का निस्तारण नहीं हो रहा है, दूसरी ओर इनकी सुरक्षा एवं देखभाल पर अनावश्यक व्यय हो रहा है। अंतिम प्रयास के तौर पर मण्डल अध्यक्ष द्वारा जिला कलक्टर को पुनः इन आवासों को राजकीय विभागों के

निःशुल्क उपयोग में लेने का प्रस्ताव दिया गया लेकिन जिला कलक्टर ने राजकीय विभागों से सम्पर्क उपरान्त प्रस्ताव को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता जाहिर की।

इन समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मण्डल द्वारा इन आवासों को अपलेखन (Write off) करने का निर्णय लिया गया ताकि अनावश्यक व्यय को कम किया जा सके एवं समय–समय पर ऑडिट में किये जा रहे आक्षेपों से बचा जा सके। अपलेखन के उपरान्त मण्डल द्वारा जिला कलक्टर, बाड़मेर को इन आवासों को भूमि सहित जनहित में उपयोग लेने हेतु अधिकृत किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(शंकर लाल कुमावत)
सचिव